

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 178/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

राजेन्द्र कुमार खारोल पुत्र भगवान खारोल निवासी: गावं भटेवर, तहसील वल्लभनगर,
उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



निर्णय

दिनांक: 04-02-2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 25.09.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/178/25/1187-88 दिनांक 01.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर ने जरिये पत्रांक: आरटीआई अपील/2025/सू.अ./41 दिनांक 13.01.2026 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रेषित करने हुए अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा न्यायालय में प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फ़ैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04-02-2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)

प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर